राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमाक :– प. 17(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक : 2/3/15

–: आदेश :–

श्री जगेश्वर प्रसाद शर्मा, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रतापनगर, सेक्टर–29, सांगानेर, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 122/2007 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2023 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 4/70, गांधीनगर, जयपुर का उनके निवास हेतु निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है।

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1- संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2- जिला कलक्टर, जयपुर।
3- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4- संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर।
5- प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, प्रतापनगर, सैक्टर–29, सांगानेर, जयपुर।
6- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–खण्ड–तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
9- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
10- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11- रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 18(1)साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक : 2/3/15

–: आदेश :–

श्री कल्याण सहाय मीणा, वरिष्ठ लिपिक, राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता संख्या 174/1997 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2026 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 18(1)साप्र/2/2014 पार्ट दिनांक 4.12.2014 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/151, गांधीनगर के स्थान पर 5–डी–9, गांधीनगर, (बहुमंजिला) जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III) के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
10. आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/– (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1- संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2- जिला कलक्टर, जयपुर।
3- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
5- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6- प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग–खण्ड–तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
8- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
9- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स.प्रवि.।
10- रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)
शासन सहायक सचिव